FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0116 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 13/06/2024 18:40 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12
4	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** बुधवार **Date From (दिनांक से):** 12/06/2024 **Date To (दिनांक तक):** 12/06/2024
   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 13:00 बजे **Time To (समय तक):** 16:15 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 13/06/2024 **Time (समय):** 18:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 13/06/2024 18:40:09 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH, 95 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b)**Address(पता):** SHITAL BHUMI SIRAVI RISORAT, BHAKARWAS JETARAN, DISTRICT BEAWAR

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**
   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** Rajesh Dureja

(b) **Father's/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 01/08/1976 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	D-605,SDC, Green Park Apartment, Janta Colony, ADARSH NAGAR(JAIPUR CITY (EAST)), JAIPUR CITY (EAST), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	D-605,SDC, Green Park Apartment, Janta Colony, ADARSH NAGAR(JAIPUR CITY (EAST)), JAIPUR CITY (EAST), RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	ASHA BHATI		अभिभावक:RAJENDAR KNDARA	1. 42,BHDWASIYA MANDOR ROAD,NEAR ICE FAECTRY,MAHA MANDIR,JODHPUR
2	RISHBH BHATI		पिता:VINOD BHATI	1. SHIV PATH,NEMINAGAR VISTAR,VAISHALI NAGAR,VAISHALI NAGAR,JAIPUR
3	YOGENDAR CHAODHRI URF RAVI		पिता:BADRISINGH CHAODHRI	1. 514,BALAJI TAWAR,BACK SIDE ETARLNAL HOSPITAL,JAWAHAR CIRCLE,JAIPUR

				CITY (EAST),RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant**
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		1,75,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 1,75,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

प्रकरण के हालात इस प्रकार है कि दिनांक 12-06-2024 को ब्यूरो मुख्यालय से वक्त करीब 01.00 पीएम पर जरिये टेलिफोन सूचना श्री केसर सिंह सहायक उप निरीक्षक व श्री राजेश दुरेजा, पुलिस उप अधीक्षक, प्रभारी तकनीकी शाखा, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर से प्राप्त हुई कि श्रीमती आशा कंडारा जो कि सरकारी कर्मचारी है, उनके द्वारा अपने पुत्र के साथ मिलकर नगर निगम/नगर पालिकाओं में सफाई कर्मचारी के पद पर नियुक्ति दिलवाने के लिऐ रिश्वत राशि प्राप्त कर रहे है। प्राप्त सूचना व्यापक स्तर पर भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार से सम्बंधित होने तथा इससे उत्पन्न हो रहे लोक सुरक्षा के सम्भावित खतरे से सम्बंधित होने के मध्य नजर तकनीकी शाखा द्वारा श्रीमती आशा कंडारा द्वारा प्रयोग में लिऐ जा रहे मोबाईल नम्बर [redacted] व [redacted] तथा उनके पुत्र श्री ऋषभ भाटी द्वारा प्रयोग में लिऐ जा रहे मोबाईल नम्बर 8529794458 का तकनीकी विशलेषण किया गया तो सूचना के तथ्यों की पुष्टि हुई। इस पर उपरोक्त नम्बरों को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति उपरान्त नियमानुसार अन्तावरोध पर लिया जाकर श्री भरत शर्मा एएसआई तथा श्री हिम्मतसिंह हैड कानि नम्बर 146 द्वारा सुना गया। अन्तावरोध अवधी की वार्ताओं को सुनने से यह प्रकट हुआ कि श्री ऋषभ भाटी द्वारा अपनी माता श्रीमती आशा कंडारा से मिलीभगत कर नगर निगम/नगर पालिकाओं में सफाई कर्मचारी पदों पर भर्ती करवाने के लिऐ अभ्यार्थियों से भारी मात्रा में रिश्वत राशि प्राप्त कर रहे है। उनके इस कृत्य में श्री रवि चौधरी द्वारा भी सहयोग किया जा रहा है। वार्ताओं से यह भी ज्ञात हुआ कि यह तीनों आज दिनांक 12 जून 2024 को जैतारण पाली जाकर सफाई कर्मचारी भर्ती में भर्ती करवाने के नाम पर रिश्वत राशि प्राप्त करेंगे। अतः अगर इन व्यक्तियों को रिश्वत आदान-प्रदान करते हुऐ पकडने पर सफाई कर्मचारी भर्ती में भर्ती करवाने के नाम पर हो रहा व्यापक स्तर के भ्रष्टाचार को उजागर किया जाना एवं रिश्वत राशि की बरामदगी किया जाना सम्भव हो सकता है। उक्त सूचना के क्रम में उपरोक्त तीनों द्वारा आज दिनांक को जैतारण पाली से रिश्वत राशि एकत्रित कर जयपुर ले जाते हुऐ की तलाशी ली जाकर उनके कब्जे से रिश्वत राशि बरामद करने के क्रम में अग्रिम गोपनीय कार्यवाही के निर्देश प्राप्त हुए जिसके क्रम मे अग्रिम गोपनीय कार्यवाही का आयोजन करने का निर्णय लिया जाकर स्वतंत्र गवाहन की आवश्यकता होने से तहसीलदार पाली के नाम तहरीर प्रेषित करने पर दो स्वतन्त्र गवाहन श्री इन्द्रदास राज बोहरा पुत्र श्री सुखराम राज बोहरा जाति बावरी उम्र 34 वर्ष निवासी अशोक नगर डा- भीमराव अम्बेडकर स्कूल के पास चांदना भाखर जोधपुर हाल पटवारी पटवार हल्का पाली चक-द्वितीय व श्री मानसिंह पुत्र स्व श्री अमरसिंह जाति रावणा राजपुत उम्र 25 वर्ष निवासी मकान नम्बर 22 इन्द्रप्रस्थ नगर नान्दडी बनाड रोड़ जोधपुर हाल कनिष्ठ सहायक तहसील कार्यालय पाली ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आये। तत्पश्चात् वक्त 01.50 पी-एम- पर मन् चेनप्रकाश पुलिस निरीक्षक मय दो स्वतन्त्र गवाहन श्री इन्द्रदास राज बोहरा पुत्र श्री सुखराम राज बोहरा जाति बावरी उम्र 34 वर्ष निवासी अशोक नगर डा- भीमराव अम्बेडकर स्कूल के पास चांदना भाखर जोधपुर हाल पटवारी पटवार हल्का पाली चक-द्वितीय व श्री मानसिंह पुत्र स्व श्री अमरसिंह जाति रावणा राजपुत उम्र 25 वर्ष निवासी मकान नम्बर 22 इन्द्रप्रस्थ नगर नान्दडी बनाड रोड़ जोधपुर हाल कनिष्ठ सहायक तहसील कार्यालय पाली एवं ब्यूरो टीम के सदस्य श्री लक्ष्मणदान सहायक उप निरीक्षक पुलिस श्री मोहनलाल हैड कानि- श्री भवानीसिंह हैड कानि श्री अवतारसिंह वरिष्ठ सहायक व श्रीमती कोशल्या महिला कानि मय सरकारी वाहन बोलेरो एवं मन् पुलिस निरीक्षक के निजी वाहन मय गोपनीय

कार्यवाही से सम्बंधित आवश्यक सामग्री लेपटोप प्रिन्टर बा्रससील ट्रेप बाक्स हमरा लेकर पाली से जैतारण की तरफ रवाना होकर वक्त 03.30 पी.एम पर जैतारण कस्बे से बाहर बर जाने वाले हाईवे पर पहुचे। ब्यूरो मुख्यालय से प्राप्त सूचना के आधार पर उपरोक्त वाहन की लॉकेशन जैतारण से बर रोड पर स्थित शीतल भूमि सिरवी रिसोर्ट पर आने पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमरायान के शीतल भूमि सिरवी रिसोर्ट भाकरवास जैतारण पर वक्त 04.12 पीएम पर पहुंचा। जहां पर भ्रनिब्यूरो इन्टे अजमेर से पुलिस निरीक्षक श्रीमती कंचन भाटी मय टीम सदस्य सर्व श्री युवराजसिंह सहायक उप निरीक्षक, श्री मनफूल कानि, श्री हुकमाराम कानि- एवं स्वतन्त्र गवाहन श्री वेदप्रकाश शर्मा कनिष्ठ सहायक व श्री जितेश मण्डोलिया कनिष्ठ सहायक, कार्यालय भू-प्रबंध अधिकारी, अजमेर मय सरकारी वाहन बोलेरो एवं चालक श्री जगदीश कानि, वाहन नम्बर आरजे-20-यूबी-0307 टाटा हेक्सा व दो व्यक्ति एवं एक महिला को रिसोर्ट के पार्किंग में उक्त वाहन के पास ही दस्तयाब किये हुए उपस्थित मिले। तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक ने हमराहीयान स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो टीम के समक्ष ही दोनो व्यक्तियों व महिला को अपना एवं हमरायान का परिचय देकर उनका परिचय पुछा तो एक व्यक्ति ने अपना नाम श्री ऋषभ भाटी पुत्र श्री विनोद भाटी, उम्र 24 वर्ष, जाति हरीजन, निवासी शिवपथ नेमीनगर विस्तार, वैशाली नगर, पुलिस थाना वैशाली नगर जयपुर एवं दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम श्री योगेन्द्र चौधरी उर्फ रवि पुत्र श्री बद्रीसिंह चौधरी जाति जाट, उम्र 35 वर्ष, निवासी ए-6, कृष्णा नगर त्रिवेणी आवास, बजरंग नगर, पुलिस लाईन कोटा हाल 514 बालाजी टॉवर, एटरनल हॉस्पिटल के पीछे, पुलिस थाना जवाहर सर्किल जयपुर व महिला ने अपना नाम श्रीमती आशा भाटी पुत्री श्री राजेन्द्र कंडारा, उम्र 42 वर्ष, निवासी मकान नम्बर 42, बर्फ फैक्ट्री के पास, भदवासिया मण्डोर रोड़, पुलिस थाना महामन्दिर, जोधपुर हाल सफाई कर्मचारी बेल्ट नम्बर 120226, जयपुर नगर निगम हेरिटेज जयपुर होना बताया। उपरोक्त तीनों को रूबरू गवाहान मन् पुलिस निरीक्षक ने आने के मन्तव्य से अवगत कराया। गौरतलब है कि वाहन की खाना तलाशी ली जानी है, लेकिन मौके से न्यायालय की दूरी होने एवं वारन्ट प्राप्त करने मे लगने वाले समय के दौरान वाहन से रिश्वत राशि खुर्दबुर्द होने की सम्भावना को मध्यनजर रखते हुए वाहन की खाना तलाशी पुलिस अधिकारी को धारा 165 सीआरपीसी मे प्रदत्त शक्तियों के तहत लिये जाने का निर्णय लिया जाकर फर्द बिना वारन्ट खाना तलाशी तैयार की गई। तत्पश्चात् वाहन की तलाशी लेने के लिऐ उपरोक्त तीनो को कहा तो उपरोक्त तीनों ने अपनी-अपनी सहमती प्रदान की। तत्पश्चात वाहन की तलाशी ली गई तो उक्त वाहन के आगे के डेस बोर्ड के बॉक्स में 500-500 रूपये के नोटों की तीन गड्डीया मिली। उक्त राशि के बारे में उपरोक्त तीनों को पूछा गया तो श्रीमती आशा भाटी व श्री योगेन्द्र उर्फ रवि चौधरी ने इस सम्बंध में कोई जानकारी नहीं होना बताया एवं बताया कि हम दोनों तो इसी रिसोर्ट में रूके हुऐ थे। श्री ऋषभ अपने गांव बलूंदा गया हुआ था। उक्त राशि के बारे में वह हीं बता सकता है। तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक ने उपरोक्त गवाहान एवं ब्यूरो टीम के रूबरू इस वाहन की पुनः गहनता से तलाशी लिवाई गई तो इस वाहन मे इस राशि के अतिरिक्त कोई अन्य सन्दिध राशि व दस्तोवजात नही मिले। इस 500-500 रूपयों के नोटों के तीनो बन्डल को स्वतन्त्र गवाह से गिनवाया गया तो कुल राशि 1,50,000 रूपये होना पाया गया। तत्पश्चात् पास ही खडे श्री ऋषभ से उक्त राशि के बारे में पूछा गया तो उसने उक्त राशि अपने ताउजी श्री नरायणलाल पुत्र श्री जुगराज जी निवासी ग्राम बलूंदा जो कि पशु चिकित्सालय में सफाई कर्मचारी है, उनसे लाना बताया। यह राशि किसलिऐ लाई गई है इस सम्बंध में श्री ऋषभ से पूछने पर उसने उक्त राशि उधार लाना बताया। साथ ही बताया कि मैं आज दोपहर करीब दो बजे मेरे गांव बलूंदा गया था तो मेरे ताउजी श्री नारायणलाल से मैने रूपये उधार मांगे तो उन्होने अपने घर से यह राशि आज मुझे दी। यह राशि मैने मेरे लिऐ गाड़ी खरीदने के लिऐ श्री नारायणलाल ताउजी से उधार लिऐ है। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री ऋषभ से पुछने पर उसने बताया कि श्रीमती आशा भाटी मेरे माताजी है जो नगर निगम जयपुर में सफाई कर्मचारी है तथा श्री योगेन्द्र चौधरी मेरा दोस्त है जिसकी गाडी लेकर हम तीनों आज सुबह करीब 10.00 बजे जयपुर से मेरे गांव बलूंदा के लिऐ आये थे। मेरे माताजी श्रीमती आशा भाटी का तलाक हो चुका है इस कारण वह मेरे गांव नहीं चली थी तथा योगेन्द्र व मेरे माताजी जैतारण में ही इसी रिसोर्ट में रूक गये और मैं मेरे गांव बलूंदा गया था। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने पास ही खड़ी श्रीमती आशा भाटी से पूछा तो उन्होने भी श्री ऋषभ के कथनों को ही दोहराया। साथ ही बताया कि मेरा वर्ष 2018 के आरएएस अधिनस्थ सेवा में चयन हुआ था लेकिन मुझे सीडीपीओ पद ही मिला इस कारण मैने इस पद पर ज्वाईन नहीं किया तथा वर्तमान में मैं सफाई कर्मचारी के पद पर ही पदस्थापित हूँ। तत्पश्चात् पास ही खडे योगेन्द्र चौधरी से पूछा गया तो उन्होने बताया कि मैं जयपुर में प्रोपर्टी डीलर का कार्य करता हूँ। श्री योगेन्द्र को श्री ऋषभ को कैसे जानता है के बारे में पूछा तो बताया कि मेरे गांव का ही काकई भाई श्री तुषार और श्री ऋषभ आपस में दोस्त है, इस कारण मैं ऋषभ व श्रीमती आशा भाटी को जानता हूँ। जान पहचान से मैने रेस्टोरेन्ट खोल कर चलाने के लिऐ ऋषभ व तुषार को दिया है। यह रेस्टोरेन्ट एसएफएस मानसरोवर, यादव वर्क्स शॉप के पास जयपुर में स्थित है। श्री योगेन्द्र को भी पूछने पर बताया कि कल दिनांक 11-06-2024 को मैरे पास श्री ऋषभ का फोन आया तथा कहां कि मेरे दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिऐ आप अपनी गाड़ी लेकर मेरे गांव जैतारण के पास बलूंदा चले। इसलिऐ आज मैं इनके साथ मेरी गाडी लेकर आया था। हम जैतारण आये तो मैं व श्रीमती आशा भाटी इस रिसोर्ट में रूक गये एवं श्री ऋषभ अकेला ही मेरी गाडी लेकर अपने दादाजी से मिलने के लिऐ अपने गांव बलूंदा गया जो आपके आने से कुछ समय पहले ही इस रिसोर्ट में वापस आया है। मेरी गाड़ी के डेस बोर्ड के बॉक्स में मिली राशि

कहां से आई इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मैं आज जयपुर से आया तब मेरी गाड़ी में कोई राशि नहीं थी। इस राशि के बारे में ऋषभ ही बता सकता है। क्योकि मेरी अनुपस्थिति में जैतारण आने के बाद ऋषभ ही मेरी गाडी लेकर अपने गांव बलूंदा गया था। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने हमराहीयान गवाहन एवं ब्यूरो टीम की उपस्थिति में श्री ऋषभ को उसके पास अन्य संदिग्ध राशि होने के बारे में पूछा तो उसने स्वयं के पास राशि होना स्वीकार किया। तत्पश्चात गवाह श्री इन्द्रदास से श्री ऋषभ की जामा तलाशी लिवाई गई तो उसके पहने हुऐ जीन्स पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में 500-500 रूपये के नोटों का एक बंडल मिला। उक्त नोटों के बंडल को गिनवाया गया तो कुल 25,000 रूपये होना पाया गया एवं जामा तलाशी में श्री ऋषभ के पास कुल तीन मोबाईल पाये गये। जिनको चैक करने पर उपरोक्त तीनों मोबाईल का विवरण निम्ननुसार पाया गया, जो क्रमशः आई-फोन 12 प्रो मैक्स, ईएमईआई नम्बर 356719117191358 व 356719117425996 जिसके कॉलिंग नम्बर [redacted] दुसरा मोबाईल आई-फोन 11 ईएमईआई नम्बर 355608705357573 व 355608705358118 जिसके कॉलिंग नम्बर [redacted] व तिसरा मोबाईल सेमसंग गैलेक्सी सी-9 प्रो ईएमईआई नम्बर 356368082694879 व 356369082694877 जिसके कॉलिंग नम्बर [redacted] व [redacted] इसके अतिरिक्त श्री ऋषभ के बाये हाथ की कलाई में एक स्मार्ट वॉच नोईज कम्पनी की होना पाया गया। उक्त के अतिरिक्त श्री ऋषभ के पास कोई संदिग्ध राशि व दस्तावेजात नहीं पाये गये। तत्पश्चात श्री योगेन्द्र चौधरी की जामा तलाशी गवाह श्री मानसिंह से लिवाई गई तो श्री योगेन्द्र चोधरी के पास दो मोबाईल होना पाया गया। जिनको चैक किया गया तो उनका विवरण निम्नानुसार पाया गया, जो क्रमशः सेसमंग गैलेक्सी ए-34, 5जी ईएमईआई नम्बर 350386304996605 व 350618524996605 जिसके कॉलिंग नम्बर [redacted] व दुसरा मोबाईल आई-फोन 13 ईएमईआई नम्बर 352561330270484 व 352566330462537 जिसके कॉलिंग नम्बर [redacted] होना पाया गया। उक्त के अतिरिक्त श्री योगेन्द्र चौधरी के पास कोई संदिग्ध राशि व दस्तावेजात नहीं पाये गये। तत्पश्चात श्रीमती आशा भाटी सफाई कर्मचारी की जामा तलाशी विधि के प्रावधानों के तहत महिला की गरीमा को मध्य नजर रखते हुऐ महिला कानि श्रीमती कौशल्या से लिवाई गई तो उसके पास एक हैण्ड पर्स मिला, इसके अतिरिक्त कोई संदिग्ध राशि एवं दस्तावेजात नहीं पाये गये। उक्त पर्स की तलाशी लिवाई गई तो उसमे तीन मोबाईल, स्वयं का आधार कार्ड व महिला के श्रृंगार से सम्बंधित सामग्री होना पाया गया। पर्स में मिले मोबाईल को चैक किया गया तो उनका विवरण निम्नानुसार पाया गया, जो क्रमशः सेसमंग गैलेक्सी एस-20, एल्ट्रा एलटीई, ईएमईआई नम्बर 354896110624874 व 354896110624872 जिसके कॉलिंग नम्बर [redacted] व [redacted], दुसरा आई-फोन एक्स एस ईएमईआई नम्बर 357213091077386 व 357213091196392 जिसके कॉलिंग नम्बर 8503939203 व तीसरा वीवो वी-27 ईएमईआई नम्बर 869657068811238 व 869657068811220 जिसके कॉलिंग नम्बर [redacted] होना पाया गया। इस पर्स में उक्त तीनों मोबाईल के अतिरिक्त कोई संदिग्ध राशि एवं दस्तावेजात नहीं पाये गये। गाड़ी की तलाशी के दौरान डेस बोर्ड के बॉक्स में मिली संदिग्ध राशि 1,50,000 रूपये एवं श्री ऋषभ भाटी की जामा तलाशी में मिली संदिग्ध राशि 25,000 रूपये के सम्बंध में तीनों द्वारा मौके पर दिया गया स्पष्टीकरण मानने योग्य नहीं होने से उक्त कुल राशि 1,75,000 रूपये जब्त किये जाकर कपडे़ की एक थेली में डालकर सील्ड कर मार्क आर अंकित किया जाकर थेली पर सम्बंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। उपरोक्त तीनों की जामा तलाशी में मिले कुल आठ मोबाईल मय सिम एवं एक स्मार्ट वॉच कार्यवाही में वांछित होने से बतौर वजह सबूत जब्त किये जाकर आठों मोबाईल व स्मार्ट वॉच को कपडे़ की एक थेली में डालकर सील्ड कर मार्क एम अंकित किया जाकर थेली पर सम्बंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। सूत्र सूचना के क्रम में उपरोक्त तीनों द्वारा रिश्वत राशि एकत्रित करने के लिऐ उपयोग में लिऐ जाने से वाहन संख्या आरजे--20-यूबी-0307 टाटा हेक्सा को भी संदिग्ध होने से जब्त किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। जिसकी फर्द जब्ती पृथक से तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। बरामदगी स्थल का नजरी नक्शा मुर्तिब किया गया। वाका में प्रयुक्त वाहन संख्या आरजे-20-यूबी-0307 को जरिये फर्द बतौर वजह सबूत जब्त किया गया। इस प्रकार प्राप्त सूचना के क्रम में श्रीमती आशा भाटी के मोबाईल नम्बर [redacted] व [redacted] व श्री ऋषभ भाटी के मोबाईल नम्बर [redacted] को ब्यूरो मुख्यालय द्वारा अन्तावरोध पर लिया जाकर इन मोबाईलो से इनके द्वारा किये जा रहे वार्तालाप को मुख्यालय स्तर पर रिकार्ड करवाया गया। इन रिकार्डिंग वार्ताओं से श्रीमती आशा भाटी सफाई कर्मचारी व उसके पुत्र श्री ऋषभ भाटी एवं श्री योगेन्द्र चौधरी उर्फ रवि द्वारा आपस में मिली भगत कर नगर निगम/नगर पालिकाओं में सफाई कर्मचारियों के पद पर नियुक्त करवाने के लिऐ अभ्यार्थियां से रिश्वत राशि एकत्रित करने के आरोप प्रमाणित पाये गये। जिसके क्रम में दिनांक 12-06-2024 को उपरोक्त तीनों द्वारा रिश्वत राशि एकत्रित कर ले जाते हुऐ की तलाशी ली गई तो इनके कब्जे से कुल 1,75,000 रूपये बरामद हुऐ, जिससे उपरोक्त तीनों का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7, 7ए व 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संशोधित 2018 व 120बी भादस का अपराध कारित करना प्रमाणित पाया जाने पर उपरोक्त तीनों मुलजिमान को 41(1)(ख) सीआरपीसी के तहत गिरफ्तारी के कारणो की चैक लिस्ट मुर्तिब कर पृथक-पृथक जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। जिनकी फर्द गिरफ्तारियां पृथक से तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। उपरोक्त वाहन में बरामद रिश्वत राशि के सम्बंध में फर्द नक्शा मौका घटना स्थल पृथक से तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। कार्यवाही में काम ली गई ब्रास सील की फर्द नमूना सील मुर्तिब की गई।

उक्त कार्यवाही रिसोर्ट के रेस्टोरेन्ट के हॉल में लाईट की व्यवस्था होने से रेस्टोरेन्ट मे तैयार की गई। बाद कार्यवाही मौके से मय जाब्ता मय माल मय मुलजिमान मय मुर्तिबा फर्दात के रवाना होकर उपस्थित चौकी हाजा आये और जब्तशुदा माल को मुताबिक फर्दात जमा मालखाना करवाया गया। उपरोक्त कार्यवाही से आरोपिया श्रीमती आशा भाटी सफाई कर्मचारी लोक सेवक होते हुऐ अपने पुत्र श्री ऋषभ भाटी एवं श्री योगेन्द्र चौधरी उर्फ रवि के साथ मिलीभगत कर नगर निगम/नगर पालिकाओं में सफाई कर्मचारी के पद पर नियुक्ति दिलवाने के लिऐ रिश्वत राशि प्राप्त अभ्यार्थियों से रिश्वत के रूप में 1,75,000 रूपये राशि प्राप्त कर ले जाते हुऐ को गिरफ्तार किया जाने पर उपरोक्त के विरूद्ध धारा 7, 7ए व 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संशोधित 2018 व 120बी भादस का जुर्म घटित होना प्रथम दृष्टया पाया गया है। ब्यूरो मुख्यालय के आदेश क्रमांक 167 दिनांक 12-06-2024 श्री राजेश दुरेजा उप अधीक्षक पुलिस, प्रभारी तकनीकी शाखा, भ्रनिब्यूरो राज जयपुर निर्देश मय आरोपीगणों के मोबाईल अन्तावरोध वार्ताओं का सारांश जरिये विशेष वाहन दो बन्द लिफाफों में प्राप्त हुआ, जिसका अवलोकन करने पर उपरोक्त तीनों आरोपियों के मध्य नगर पालिका भर्ती सम्बंधी फार्म लगाने तथा जैतारण से रिश्वत राशि साढे तीन लाख रूपयों के आधे पहले देने व आधे बाद में देने और बात आउट नहीं करने, नौकरी फार्म इत्यादी सम्बंधी वार्ता और ऋषभ द्वारा अपने मोबाईल नम्बर से दिनांक 12-06-2024 को समय 07.51.06 पर नरेश के मोबाईल नम्बर पर वार्ता कर आज एक पिचहत्तर कर दे वगैराह वार्ता करना पाया गया जो मौके पर आरोपियान श्रीमती आशा भाटी, उसके पुत्र श्री ऋषभ भाटी तथा श्री योगेन्द्र चौधरी उर्फ रवि के कब्जे से मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा रूबरू मौतबिरान एक लाख पिचहत्तर हजार रूपये बरामद किये गये, जो अपराध की पुष्टि करते है। बाद अवलोकन मोबाईल अन्तावरोध वार्ताओं का सारांष शामिल पत्रावली किया गया। अतः श्रीमती आशा भाटी पुत्री श्री राजेन्द्र कंडारा, उम्र 42 वर्ष, निवासी मकान नम्बर 42, बर्फ फैक्ट्री के पास, भदवासिया मण्डोर रोड़, पुलिस थाना महामन्दिर, जोधपुर हाल सफाई कर्मचारी बेल्ट नम्बर 120226, जयपुर नगर निगम हेरिटेज जयपुर, श्री ऋषभ भाटी पुत्र श्री विनोद भाटी, उम्र 24 वर्ष, जाति हरीजन, निवासी शिवपथ नेमीनगर विस्तार, वैशाली नगर, पुलिस थाना वैशाली नगर जयपुर व श्री योगेन्द्र चौधरी उर्फ रवि पुत्र श्री बद्रीसिंह चौधरी जाति जाट, उम्र 35 वर्ष, निवासी ए-6, कृष्णा नगर त्रिवेणी आवास, बजरंग नगर, पुलिस लाईन कोटा हाल 514 बालाजी टॉवर, एटरनल हॉस्पिटल के पीछे, पुलिस थाना जवाहर सर्किल जयपुर के विरूद्ध अन्तर्गत जुर्म धारा 7, 7ए व 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संशोधित 2018 व 120बी भादस में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर क्रमांकन हेतु प्रेषित कर निवेदन है कि अपराध दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान के आदेश फरमावें। भवदीय चेनप्रकाश पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पाली-द्वितीय.........कार्यवाही पुलिस......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री चेनप्रकाश, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पाली-द्वितीय ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए व 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथासंशोधित 2018) 120बी भादस में आरोपीगण 1- श्रीमती आशा भाटी पुत्री श्री राजेन्द्र कंडारा, निवासी मकान नम्बर 42, बर्फ फैक्ट्री के पास, भदवासिया मण्डोर रोड़, पुलिस थाना महामन्दिर, जोधपुर हाल सफाई कर्मचारी बेल्ट नम्बर 120226, जयपुर नगर निगम हेरिटेज जयपुर, 2-श्री ऋषभ भाटी पुत्र श्री विनोद भाटी, निवासी शिवपथ नेमीनगर विस्तार, वैशाली नगर, पुलिस थाना वैशाली नगर जयपुर व 3-श्री योगेन्द्र चौधरी उर्फ रवि पुत्र श्री बद्रीसिंह चौधरी, निवासी ए-6, कृष्णा नगर त्रिवेणी आवास, बजरंग नगर, पुलिस लाईन कोटा हाल 514 बालाजी टॉवर, एटरनल हॉस्पिटल के पीछे, पुलिस थाना जवाहर सर्किल जयपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉं नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री ओमप्रकाश चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक , भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सिरोही को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 206पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर क्रमांक 591-94 दिनांक 13.06.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली। 2आयुक्त, नगर निगम हैरिटेज (मण्डल), नगर निगम हैरिटेज, जयपुर। 3 उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर । 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पाली-द्वितीय।पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज., जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.):** OM PRAKASH Chodhary **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक
(जाँच अधिकारी का नाम):

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to**
(जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 13/06/2024 18:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishanaram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Female	01/10/1980				
2	Male	2000				
3	Male	1989				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)